समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा/2017/6145

धबिया तनय कन्हैया अहिरवार निवासी कैडी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. ।

.............आवेदक

विरूद्ध

1. मुलुवा अहिरवार तनय कन्हैया अहिरवार
2. सरजुवा तनय कन्हैया अहिरवार
3. प्यारेलाल तनय छविया अहिरवार
4. रमसैया तनय सूरा अहिरवार
5. राजू अहिरवार समस्त निवासीगण ग्राम कैडी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.
6. म.प्र. शासन द्वारा कले. छतरपुर म.प्र.

..........अनावेदकगण

आज दि० 14-12-17 को प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 14-12-17

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत पारित कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण क 28/स्व0प्रेरण निगरानी /2009–10 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 5.06.2012 के विरूद्ध।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक एंव अनावेदक सगे भाई है। आवेदक के दूसरे भाई शिकायतकर्ता /अनावेदक क 1 मुलुवा अहिरवार तनय कन्हैया अहिरवार द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 5.6.2009 को प्रस्तुत किया कि ग्राम कैडी स्थिति भूमि खसरा न 115/1 ,152/1 ,219 रकवा 1.918,1.044,0.741 जो वर्ष 1943–1944 में राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन अकित थी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/6145

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 05.06.2012 के विरुद्ध दिनांक 14.12.2017 को विलंब से निगरानी प्रस्तुत की गई है एवं धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अंतर्गत विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	